न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

कस्तूरी यादव पुत्री मनसुका यादव, पत्नि बीरेन्द्र सींग यादव,

निबासी ग्राम डुमरउ भाटा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

..................आवेदिका

वनाम

1– प्रकाश तनय राजधर यादव, 2– लक्खू तनय गनपत सौंर,

3– शैलेन्द्र तनय सियाराम यादव, 4– अरविन्द्र तनय सियाराम यावद,

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम तखा, तहसील अनंतपुरा जिला टीकमगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक 20 दिनांक 05/11/1997 एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील एवं जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 73/अपील/2014–15 मे पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31/10/16 से परिबेदित होकर प्रस्तुत कर रही है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम तखा, तहसील जिला टीमकगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 238/3 ग वर्ष 1987–88 में आवेदिका के पिता मनसुका तनय सूका यादव के नाम से भूमि स्वामी के नाम से दर्ज थी। मनसुका तनय सूका यादव की फौत होने के उपरांत ग्राम पंचायत तखा की नामांतरण पंजी कमांक 20 के संबंध में ग्राम पंचायत तखा के प्रस्ताव कमांक 03 दिनांक 19/11/1997 के आधार पर एक फर्जी वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक 01 प्रकाश का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी कभी भी आवेदिका को नही रही। इसके उपरांत तहसीलदार टीकमकढ़

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

R 224-I/17 [illegible]

18-1-18

आवेदक श्री ओ.पी.
श्रीमती रजनी वाधवा आदि उपस्थित।
आवेदक के अभि० द्वारा प्रकरण
को आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन
किया गया। आवेदक अभि०
का निवेदन स्वीकार किया जाता
है। ~~[illegible]~~ प्रकरण इसी स्तर पर
नोटप्रेस में समाप्त किया जाता
है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

[illegible]

③